**प्रेषक,**

**अनिल कुमार सिंह,**
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनांक** 14 **मार्च, 2024**

**विषयः-**वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/901, दिनॉक 07.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 889.98 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

**2-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-24-राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु **रू0 217.98 लाख (रू0 दो करोड़ सत्रह लाख अट्ठानवे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-**

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला

**लेखाशीर्ष:** 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 031 | 2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ | 29 अनुरक्षण | 6,00,000 ( रुपये छह लाख मात्र ) |
| *2* | 031 | 2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ | 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति | 2,00,00,000 ( रुपये दो करोड़ मात्र ) |
| *3* | 031 | 2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ | 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 1,00,000 ( रुपये एक लाख मात्र ) |
| *4* | 031 | 2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ | 49 चिकित्सा व्यय | 10,00,000 ( रुपये दस लाख मात्र ) |
| *5* | 031 | 2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ | 52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) | 98,000 ( रुपये अट्ठानबे हजार मात्र ) |
| | **कुल** | | | **2,17,98,000 ( रुपये दो करोड़ सत्रह लाख अट्ठानबे हजार मात्र )** |

| | |
|---|---|
| **महायोग** | 2,17,98,000 ( रुपये दो करोड़ सत्रह लाख अट्ठानबे हजार मात्र ) |

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

Digitally Signed by अनिल कुमार सिंह
Date: 14-03-2024 13:20:30
Reason:Approved

**(अनिल कुमार सिंह)**
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्यदिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(अनिल कुमार सिंह)**
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2753157/2024/ -1

# बी एम-9 (भाग- 1)

## पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2023-24-71-1002-406-2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ ( | 01 (वेतन( | 33,00,00,000 रुपये तैंतीस करोड़ मात्र | 3,15,98,000 रुपये तीन करोड़ पंद्रह लाख अट्ठानबे हजार मात्र | - 3,15,98,000 रुपये तीन करोड़ पंद्रह लाख अट्ठानबे हजार मात्र | 29,84,02,000 | 2023-2024 |
| 031 | 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ ( | 03 (महगाई भत्ता( | 16,85,00,000 रुपये सोलह करोड़ पचासी लाख मात्र | 2,34,00,000 रुपये दो करोड़ चौंतीस लाख मात्र | - 2,34,00,000 रुपये दो करोड़ चौंतीस लाख मात्र | 14,51,00,000 | 2023-2024 |
| 031 | 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ ( | 21 (छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन( | 23,00,00,000 रुपये तेईस करोड़ मात्र | 2,40,00,000 रुपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र | - 2,40,00,000 रुपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र | 20,60,00,000 | 2023-2024 |
| 031 | 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ ( | 40 (औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा( | 1,11,00,000 रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख मात्र | 1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र | - 1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र | 11,00,000 | 2023-2024 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ ( | 29 (अनुरक्षण( | 6,00,000 रुपये छह लाख मात्र | 06,00,000 रुपये छः लाख मात्र | 12,00,000 | 2023-2024 |
| 031 | 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ ( | 43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति( | 1,55,00,000 रुपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र | 2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र | 3,55,00,000 | 2023-2024 |
| 031 | 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ ( | 46 (कम्प्यूटर हार्डवेयरसाफ्टवेयर / (का क्रय | 5,75,000 रुपये पांच लाख पचहत्तर हजार मात्र | 1,00,000 रुपये एक लाख मात्र | 6,75,000 | 2023-2024 |
| 031 | 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ ( | 49 (चिकित्सा व्यय( | 17,00,000 रुपये सत्रह लाख मात्र | 10,00,000 रुपये दस लाख मात्र | 27,00,000 | 2023-2024 |
| 031 | 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ ( | 52 (पुनरीक्षित वेतन का अवशेष ((राजकीय) | 1,000 रुपये एक हजार मात्र | 98,000 रुपये अट्ठानबे हजार मात्र | 99,000 | 2023-2024 |

कृपया उपर्युक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 15.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में वेतनादि मदों में उक्तानुसार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 789.98 लाख तथा पूर्व में मानक मद-43 सामग्री एंव सम्पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि रू0 100.00 लाख हेतु प्रेषित अनुपूरक प्रस्ताव त्रुटिवश मानक मद-40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा में प्राविधानित हो जाने के दृष्टिगत उक्त धनराशि रू0 100.00 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 889.98 लाख की बचत सम्भावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2753157/2024/ -1

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में महाविद्यालय एवं सम्बद्ध अस्पताल के सिविल कार्यो तथा विद्युत सम्बन्धी उपकरणों की मरम्मत के भुगतान हेतु मानक मद-29-अनुरक्षण हेतु रू0 06.00 लाख, सर्जिकल सामग्री, कन्ज्यूमेबल्स आईटम, किट्स, सी0टी0 स्कैन फिल्म, क्लोथिंग इत्यादि हेतु मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 200.00 लाख, विभिन्न विभागों के संचालन हेतु प्रिन्टरकम्प्यूटर/ एंव तत्सम्बन्धी हार्डवेयर-साफ्टवेयर क्रय हेतु मानक मद/46-कम्प्यूटर हार्डवेयरसाफ्टवेयर का क्रय में रू/0 1.00 लाख, कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान हेतु मानक मद 49-चिकित्सा व्यय हेतु रू0 10.00 लाख, सातवें वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित वेतन के बकाया एरियर भुगतान हेतु मानक मद-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में रूव 0.98 लाख, इस प्रकार मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में आगामी माहों की आवश्यकता के दृष्टिगत कुल रू0 217.98 लाख पुनर्विनियोग की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्याः आर ई-बजट-1-562-2023-24, दिनांक 07 मार्च, 2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3,उ0प्र0शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।